**उत्तराखण्ड शासन**
**समाज कल्याण अनुभाग–2**
**संख्याः 1555/XVII-2/15–01(14)/2008टी.सी.**
**देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर, 2015**

"उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
12. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
13. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को उक्त नियमावली, 2015 की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां समाज कल्याण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**
**समाज कल्याण अनुभाग–2**
**संख्याः 1541 / XVII-2 / 15–01(14) / 2008-TC**
**देहरादूनः दिनांक 06 नवम्बर, 2015**

## अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का **प्रयोग** करते हुए उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, **2011** में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

**उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2015**

| | |
|---|---|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| नियम 21 का संशोधन | 2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् |

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **यम 21. वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषदः–** | **नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद :–** |
| 1(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उसे सलाह देने हेतु वरिष्ठ ागरिकों की एक राज्य परिषद् गठित करेगी और वह रिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का पालन रेगी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें। | 21(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उसे सलाह देने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की एक कल्याण परिषद् गठित करेगी और वह वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें। |
| 2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थातः– | (2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात :– |
| क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार का मंत्री — **पदेन अध्यक्ष** | (क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) — **अध्यक्ष** |
| ख) विकलांगता, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, संचार, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों को देखने वाले विभागों के सचिव — **पदेन सदस्य** | (ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित। — **उपाध्यक्ष (तीन)** |
| ग) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य — **सदस्य** | (ग) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य — **सदस्य** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (घ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में, परन्तु परिषद् के पदेन सदस्यों की संख्या से न्यून नहीं, में ऐसे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक | **सदस्य** | (घ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में, परन्तु परिषद् के नामित उपाध्यक्षों की संख्या से न्यून नहीं, में ऐसे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक | **सदस्य** |
| (ड़) राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विभाग का निदेशक | **पदेन सदस्य सचिव** | (ड) राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विभाग का निदेशक | **पदेन सदस्य सचिव** |
| (3) राज्य परिषद् छः माह में न्यूनतम एक बार बैठक आहूत करेगी। | | (3) कल्याण परिषद् छः माह में न्यूनतम एक बार बैठक आहूत करेगी। | |

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

**(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)**

सचिव।